"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 226 ]        रायपुर, शनिवार, दिनांक 23 जून 2018 —— आषाढ़ 2, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 जून 2018

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–31/2018/वाक/पांच(46). – छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के उपनियम 14 के खण्ड (घ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर से परामर्श उपरांत एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि –

नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में वर्णित अध्याय/शीर्षक/उपशीर्षक/टैरिफ मद के अंतर्गत कॉलम (2) में वर्णित मालों, जब ऐसे मालों का संचलन छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले के क्षेत्र से आरंभ होकर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी अन्य जिले के क्षेत्र में समाप्त होता है और इस शर्त के अधीन कि ऐसे परेषण का मूल्य रु. 50 हजार से अधिक हो, को छोड़कर माल के छत्तीसगढ़ राज्य में अंतराराज्यीय संचलन के लिए ई–वे बिल जनरेट किया जाना आवश्यक नहीं होगा;

| अ. क्र. | माल का वर्णन | अध्याय/शीर्षक/उपशीर्षक/टैरिफ मद |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | वनस्पति एवं खाद्य तेल | 1507 to 1518 |
| 2. | कन्फैक्शनरी | 1704 |
| 3. | पान मसाला | 2106-90-20 |
| 4. | तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद | 2402, 2403 |
| 5. | विनियरिंग शीट्स, लेमिनेटेड शीट, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड | 4408, 4410, 4411, 4412 |
| 6. | टाईल्स एवं अन्य सेरामिक उत्पाद | 6901, 6904 to 6907, 6910 |
| 7. | आयरन एण्ड स्टील, आयरन एण्ड स्टील के सामान | 7202 to 7217, 7303 to 7308, 7312 to 7318, 7320, 7324 |
| 8. | इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक माल | Chapter 85, Chapter 90 |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 9. | मोटर वाहनों और अन्य वाहनों के पार्ट्स एवं एसेसिरिज | 8708, 8714 |
| 10. | फर्नीचर | 9403 |
| 11. | मिनरल वाटर एण्ड ऐरिटेड वाटर, बेवरेज | 2201, 2202 |
| 12. | पदत्राण | Chapter 64 |
| 13. | सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद | 6810, 6811 |
| 14. | एल्युमिनियम एण्ड एल्युमिनियम उत्पाद | 7601,7604 to 7610, 7614 to 7616 |
| 15. | मशीनरी, मेकनिकल एप्लायसेंस एवं उसके पार्ट्स | 8414, 8415, 8418, 8419, 8422, 8450, Chapter 85, Chapter 90 |

2. यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**संगीता पी.**, आयुक्त, राज्य कर एवं विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 जून 2018

क्रमांक एफ 10–31/2018/वाक/पांच(46). –भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–31/2018/वाक/पांच (46), दिनांक 19–06–2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**संगीता पी.**, आयुक्त, राज्य कर एवं विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 19th June 2018

NOTIFICATION

No. F 10-31/2018/CT/V (46). — In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-rule (14) of Rule 138 of the Chhattisgarh Goods and Service Tax Rules, 2017 and in consultation with the Chief commissioner of Central Tax Chhattisgarh, it is hereby, notified that,-

No e-way bill shall be required to be generated for intrastate movement of goods in the State of Chhattisgarh, except for the goods mentioned in column No (2) with its chapter/Heading/Sub-heading/Tariff item in column No. (3) of the table given below, when the movement of such goods commences from within the area of any district of Chhattisgarh and terminates within the area of any other district of Chhattisgarh, Subject to the condition that the consignment value for such goods exceeds Rs. fifty thousand.

| S. No. | Description of Goods | Chapter/Heading/Sub-heading/Tariff item |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Vegetable and Edible Oil | 1507 to 1518 |
| 2. | Confectionery | 1704 |
| 3. | Pan Masala | 2106-90-20 |
| 4. | tobacco and tobacco products | 2402, 2403 |
| 5. | Sheets for veneering, Laminated Sheet, Particle board, Fibre board, Plywood | 4408, 4410, 4411, 4412 |
| 6. | Tiles and other ceramic products | 6901, 6904 to 6907, 6910 |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 7. | Iron and Steel, Articles of Iron and Steel | 7202 to 7217, 7303 to 7308, 7312 to 7318, 7320, 7324 |
| 8. | Electrical & Electronic goods | Chapter 85, Chapter 90 |
| 9. | Parts and accessories of Motor vehicles and other vehicles | 8708, 8714 |
| 10. | Furniture | 9403 |
| 11. | Mineral waters and aerated waters, beverages | 2201, 2202 |
| 12. | Footwear | Chapter 64 |
| 13. | Cement and Cement products | 6810, 6811 |
| 14. | Aluminum and Aluminum products | 7601,7604 to 7610, 7614 to 7616 |
| 15. | Machinery, mechanical appliances and parts thereof | 8414, 8415, 8418, 8419, 8422, 8450, Chapter 85, Chapter 90 |

2. This notification shall come into force with effect from the date of issue.

By order and in the name of the Government of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Commissioner, State Tax and Special Secretary .

नया रायपुर, दिनांक 19 जून 2018

## शुद्धि-पत्र

क्रमांक एफ-10-31/2018/वाक/पांच (49). — इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-31/2018/वाक/पांच (46), नया रायपुर दिनांक 19.06.2018 में दी गई तालिका के अनुक्रमांक 7 के कॉलम (3) में अंक "7202" के स्थान पर अंक "7201" प्रतिस्थापित किया जाए तथा अनुक्रमांक 13 के कॉलम (3) में अंक "6810" के पहले अंक "2523" जोड़ा जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**संगीता पी.**, आयुक्त, राज्य कर एवं विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 जून 2018

क्रमांक एफ-10-31/2018/वाक/पांच (49). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के शुद्धि पत्र क्रमांक एफ-10-31/2018/वाक/पांच (49), दिनांक 19-06-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**संगीता पी.**, आयुक्त, राज्य कर एवं विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 19th June 2018

## CORRIGENDUM

No. F-10-31 /2018/CT/V (49). — In notification No. F 10-31/2018/CT/V ( 46 ), Naya Raipur dated 19-06-2018, issued by this department, in column (3) at Serial Number 7 for the figure "7202" the figure "7201" shall be substituted and in column (3) at Serial Number 13 before the figure "6810" the figure "2523" shall be added.

By order and in the name of the Government of Chhattisgarh,
SANGEETHA P., Commissioner, State Tax and Special Secretary .

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.